तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **जगदीश खटीक बनाम उपायुक्त, हवा महल जोन (पूर्व) नगर निगम, जयपुर 378/2018**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.20	पत्रावली पेश हुईं। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.01.2010 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ को रिमाण्ड किया गया है जिसके अनुसरण में निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्थानीय निकाय, राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 04.07.18 पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.01.2010 के विरूद्ध हस्तगत अवमानना प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	